के.मा.शि.बो /शैक्षणिक /सं.स. (शै.अ.प्र.न.)/2017 अधिसूचना सं. : शैक्षणिक-06/2017

दिनांक 31.01.2017

अधिसूचना

सत्र 2010-11 में एक अग्रगामी परियोजना (पायलट प्रोजेक्ट) के रूप में सीबीएसई-आई पाठ्यक्रम शुरू किया गया था। इस समयावधि के दौरान, संचालन संबंधी कठिनाइयों सहित वैश्विक मानक की गुणवता वाली पठन सामग्री की उपलब्धता से संबंधित विभिन्न पहलुओं को देखा गया। इस संदर्भ में, दिसंबर 2016 में आयोजित पाठ्यचर्या समिति की बैठक में विस्तृत चर्चा के लिए अग्रगामी परियोजना के रूप में सीबीएसई-आई पाठ्यक्रम की निरंतरता के मुद्दे को उठाया गया था। तत्पश्चात, बोर्ड के शासी निकाय की बैठक में भी पाठ्यचर्या समिति के निर्णय पर चर्चा हुई। सीबीएसई-आई पाठ्यक्रम की अग्रगामी परियोजना की व्यापक समीक्षा करने के लिए किसी सरकारी परामर्शदात्री संस्था द्वारा इसका समाधान होना था। इस स्थिति में, वर्तमान में सीबीएसई-आई पाठ्यक्रम प्रस्तावित करने वाले विद्यालय (अथवा सत्र 2017-18 से सीबीएसई-आई पाठ्यक्रम प्रस्तावित करने के लिए इच्छुक) निम्नलिखित निर्णयों का दृढ़तापूर्वक अनुपालन करने के लिए सावधानीपूर्वक संज्ञान लें :

विद्यालय की श्रेणी	**अनुपालन हेतु कार्रवाई**
विदेशों में स्थित सीबीएसई से संबद्ध विद्यालय जो सीबीएसई-आई पाठ्यक्रम का अनुमोदन प्राप्त कर चुके हैं और अग्रगामी स्तर पर अनुमोदित सीबीएसई-आई पाठ्यक्रम की कक्षाओं के लिए अपने परिसर में सीबीएसई-आई पाठ्यक्रम प्रस्तावित कर रहे हैं।	उन्हे निर्देशित किया जाता है कि वे अब से सत्र 2017-18 के लिए सीबीएसई-आई पाठ्यक्रम को प्रस्तावित नहीं करें। तत्पश्चात, ऐसे विद्यालयों के प्रभावित विद्यार्थियों को अगली कक्षा में कक्षोन्नति (वर्तमान सत्र की समाप्ति के पश्चात) के साथ सीबीएसई मुख्य पाठ्यक्रम में स्थानांतरित किया जाए।
विदेशों में स्थित और सीबीएसई से असंबद्ध विद्यालय जो अग्रगामी स्तर पर सीबीएसई-आई पाठ्यक्रम का अनुमोदन प्राप्त करके कक्षाओं के लिए अनुमोदित सीबीएसई-आई पाठ्यक्रम प्रस्तावित कर रहे हैं।	सीबीएसई-आई पाठ्यक्रम को लागू करने की अनुमति 2017-18 से वापस ली जाती है। विद्यालयों को निर्देशित किया जाता है कि वे किसी भी रूप में सीबीएसई का नाम और प्रतिक चिह् न (लोगो) का उपयोग न करें। तथापि सीबीएसई की नियमित संबद् धता प्राप्त करके अपने विद्यालय में सीबीएसई मुख्य पाठ्यक्रम प्रस्तावित कर सकते हैं।
भारत में स्थित सीबीएसई से संबद्ध विद्यालय जो सीबीएसई-आई पाठ्यक्रम का अनुमोदन प्राप्त चुके हैं और अग्रगामी स्तर पर अनुमोदित सीबीएसई-आई पाठ्यक्रम की कक्षाओं के लिए अपने परिसर में सीबीएसई-आई पाठ्यक्रम प्रस्तावित कर रहे हैं।	उन्हे निर्देशित किया जाता है कि वे अब से सत्र 2017-18 के लिए सीबीएसई-आई पाठ्यक्रम को प्रस्तावित नहीं करें। तत्पश्चात, ऐसे विद्यालयों के प्रभावित विद्यार्थियों को अगली कक्षा में कक्षोन्नति (वर्तमान सत्र की समाप्ति के पश्चात) के साथ सीबीएसई मुख्य पाठ्यक्रम में स्थानांतरित किया जाए।
भारत में स्थित और सीबीएसई से असंबद्ध विद्यालय जो अग्रगामी स्तर पर सीबीएसई-आई पाठ्यक्रम का अनुमोदन प्राप्त करके कक्षाओं के लिए अनुमोदित सीबीएसई-आई पाठ्यक्रम प्रस्तावित कर रहे हैं।	सीबीएसई-आई पाठ्यक्रम को लागू करने की अनुमति 2017-18 से वापस ली जाती है। विद्यालयों को निर्देशित किया जाता है कि वे किसी भी रूप में सीबीएसई का नाम और प्रतिक चिह् न (लोगो) का उपयोग न करें। तथापि सीबीएसई की नियमित संबद् धता प्राप्त करके अपने विद्यालय में सीबीएसई मुख्य पाठ्यक्रम प्रस्तावित कर सकते हैं।

सभी संबंधित विद्यालय जो सीबीएसई-आई पाठ्यक्रम प्रस्तावित कर रहे हैं, दृढ़तापूर्वक अनुपालन करने के लिए तदनुसार संज्ञान लें।

(मनोज कुमार श्रीवास्तव)
संयुक्त सचिव और प्रभारी (शै.अ.प्र.एवं न.)